(2)

कार्यालय, महालेखाकार (लेखापरीक्षा) बिहार, पटना

निरीक्षण प्रतिवेदन – 192 / 14--15

भाग– I

परिचय

1. लेखापरीक्षित इकाई नाम एवं पता	नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय, चंडी
2 प्राचार्य का नाम	(i) चन्द्र भूषण महतो जुलाई 2008 से अब तक
3. लेखापरीक्षा तिथि	दिनांक 09.03.2015 से 17.03.2015
4. लेखापरीक्षा कर्मिकों के नाम	(i) सर्वश्री प्रणय कुमार, ले.प.अ. (ii) श्री राकेश कुमार नं. 6, स.ले.प.अ.
5. लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र	फरवरी 2009 से फरवरी 2015 तक के लेखे का नमूना जाँच लेखापरीक्षा विस्तृत चयनित मास मार्च 2009 तथा सितम्बर 2014 के अन्तर्गत तथा अंकगणीतिय मास मार्च 2010 एवं जनवरी 2012 के अन्तर्गत किया गया। विस्तृत चयनित मास के अन्तर्गत कोषागार से निकासी की गई राशि तथा फरवरी 2009 से फरवरी 2015 के बीच कोषागार में जमा की गई राषि का सत्यापन किया गया जोकि अनुपलब्ध था।
6. क्या पुराने निरीक्षण प्रतिवेदन का अनुपालन प्रति दिया गया।	नहीं (निरिक्षित इकाई का यह प्रथम लेखापरीक्षा था)
7. क्या प्राचार्य के साथ विचार विमर्श हुआ	हाँ, प्राचार्य, नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय, चंडी नालंदा के साथ सभी आपत्ति ज्ञापों पर विचार विमर्श किया गया।

(5)

भाग -- II

खण्ड -- 'क'

शून्य

खण्ड -- 'ख'

कंडिकाः 1 नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय, चंडी का वित्तीय प्रबंधन में

राजस्व का अप्राधिकृत संचालन-- रु. 4.82 करोड़

बिहार वित्तीय नियमावली के अनुसार किसी भी सरकारी कार्यालय में कर एवं गैर कर राजस्वों को निम्न नियमों के अनुसार प्रबंधन करना है.

Rule 4 of BFR: Money received as dues of Government or for deposit in the custody of government should be credited into Public Accounts in accordance with the treasury rules.

Rule 5 (i) of BFR: All money received by of deposit with any official employed in connection with the affairs of the state in his capacity as such other than Revenue of Public Money raised or received by Government shall be paid into the public account

Rule 5 (ii) of BFR: All money received by or deposited with any court to the credit of any cause (matter account or person) shall also be paid into the Public account.

प्राचार्य, नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय, चंडी एक सरकारी सस्था है. अतः इसका सभी वित्तीय आयोजक बिहार सरकार के बजट मुख्य शीर्ष 2203 पर भारित होता है.

अभियंत्रण महाविद्यालय के अभिलेखों नमूना लेखा परीक्षा के दौरान यह पता चला की प्राचार्य के द्वारा महाविद्यालय के संचालन हेतु विकास मद के नाम से एक अलग वित्तीय व्यवस्था का संचालन किया जा रहा था. इसके अंतर्गत महाविद्यालय में प्रत्येक छात्रों से एक बार नामांकन शुल्क रु 19405.00 लिया जा रहा था जिसका 12[1] अलग–अलग मदों में वर्गीकरण कर शुल्क लिया जा रहा था. वर्ष 2008–15 तक से विकास मद के नाम पर लिए गए कुल राशि निम्न प्रकार से थीः

[1] *Tuition fee Rs.120] Development fee Rs. 10000] Admission fee Rs. 10] college caution money Rs. 100] Atheletic 400] SI Fund and misc Rs. 1375] Home Exam fee Rs. 800] Medical fee Rs. 400] Education tour Rs. 100] Training and placement Rs. 600] college day Rs. 500 local levy Rs- 5000*

(4)

वर्ष	लिया गया नामांकन शुल्क	कुल व्यय	शेष
2008–09	2389992.00	387648.00	2002344.00
2009–10	4870668.00	3603358.95	3269653.05
2010–11	5002997.00	3570171.55	4702478.50
2011–12	7189792.00	4056748.00	7835522.50
2012–13	7672601.00	7187388.50	8320735.00
2013–14	6816840.00	6514244.65	8623330.35
2014–15(फरवरी तक)	14291712.00	8900720.25	14014322.10
कुल	**48234602**	**34220279.9**	**48768385.5**

इस प्रकार ऊपर के सारणी से देखा जा सकता है की अप्राधिकृत रूप से कुल रू. 482.34 लाख वर्ष 2008–14 के दौरान छात्रों से ली गयी थी जिसे बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 4 एवं 5 में प्रावधानों के तहत कोषागार में जमा कर दिया जाना था. परन्तु नमूना जांच में पता चला की उन राशि को बिना किसी विभागीय अनुमति के ही अनियमित रूप से 12 अलग मदों में व्यय किया जा रहा था. इस प्रकार अप्राधिकृत रूप से रू. 482.34 लाख विद्यार्थिओं से लिए गए थे.

उत्तर में प्राचार्य के द्वारा स्वीकार्य किया गया कि विभाग से विकास मद के नाम पर विद्यार्थियों से शुल्क लिए जाने की कोई दिशा निर्देश नहीं है.

कंडिका: 2

नामांकन शुल्क को अनाधिकृत एवं अनियमित रूप से व्यय

बिहार वित्तीय नियमावली के नियम 8 के अनुसार " As a general rule no authority may incur any expenditure or enter into the liability involving expenditure from public funds until the expenditure has been sanctioned by the general or special orders of the Government or by an authority to which power has been duly delegated in this behalf and the expenditure has been provided in the authorized grants and appropriation for the year"

दिए गए विवरण से पता चला की प्राचार्य, नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय द्वारा वर्ष 2008–09 से 2013–14 तक लिए गए नामांकन शुल्क में से कुल रू. 342.20 लाख व्यय किये गए थे. के संचिकाओं के नमूना जांच से ज्ञात हुआ कि नामांकन शुल्क की राशि को

अप्राधिकृत एवं अनियमित रूप से विभिन्न प्रकार से व्यय किया जा रहा था जिनमे से कुछ निम्न प्रकार से थे:

(i) विकास मद. रू. 222.23 लाख

इस मद को मुख्य व्यय अतिथि लेक्चरर को दिए गए मानदेय पर था जिनके द्वारा शैक्षणिक कार्य किये जा रहे थे हालाँकि विभाग से रेगुलर क्लासेज कराया जा रहा था. इस हेतु माह 2013 में प्राचार्य के द्वारा अतिथि लेक्चरर की नियुक्ति हेतु वाक इन इंटरव्यू आयोजित की गयी थी। इस हेतु प्रकाशित निविदा में छह संकायों के लिए M–TECH पास इंजीनियरिंग कैनडीडेट से आवेदन मांगी गयी थी. लेखा परीक्षा के दौरान पता चला कि संचिकाओं के जांच से पता चला की प्राप्त आवेदन का कोई स्क्रूटिनी नहीं की गए थी न ही इंटरव्यू ही आयोजित कर चयनित कैंडीडेट की सूचि प्रकाशित की गयी. उनका चयन प्राचार्य के स्तर से ही अयोग्य कैंडीडेट को चुन कर कक्षाओं का संचालन करवाया जा रहा था. उल्लेखनीय है की AICTE के नियम के अनुसार M-- TECH की डिग्री रखने वाले ही लेक्चरर के पद की अर्हता रखते थे. परन्तु बी–टेक गेस्ट लेक्चर का चयन बिना पारदर्शिता के किया गया था. इस प्रकार AICTE के प्रावधानों के विपरीत कक्षाओ के संचालन पर अनियमित व्यय किया जा रहा था.

(ii) लोकल लेवी: रु. 75.51 लाख.

माह जुलाई' 2013 में विभाग द्वारा महाविद्यालय के छात्र / छात्राओं को संस्थान परिसर में छात्रावास की सुविधा उपलब्ध होने तक शहर के प्रमुख स्थान से संस्थान तक एक बार जाने एवं आने के लिए निशुल्क परिवहन सुविधा उपलब्ध करने हितु वित्तीय वर्ष 2013–14 में कुल रू. 30.00 लाख विमुक्त की गयी थी. परन्तु जांच में पता चला की प्राचार्य के द्वारा लोकल लेवी मद से कुल रू. 75.51 का अनियमित रूप से भुगतान किया गया था।

उत्तर में बताया गया कि संस्थान में नामांकन के दौरान जो शुल्क लिया जाता है उसके लिए विभाग से कोई दिशा निर्देश नहीं है, जिसे प्राप्त कर लेखापरीक्षा को वस्तुस्थिति से अवगत करा दिया जाएगा।

कंडिका: 3

(i) पुस्तकों का अनियमित क्रय: रू. 20.00 लाख

नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय, चंडी के पुस्तकालय हेतु वर्ष 2008–09 पुस्तक क्रय की संचिका के जांच क्रम में पाया गया की पुस्तक क्रय की निविदा दिसम्बर' 2008 में प्रकाशित की गयी थी. क्रय किये जाने वाले पुस्तकों की कोई इन्वेंट्री तैयार नहीं की गयी थी. निविदा में भी संकायवार आवश्यक पुस्तकों की कोई सूचि संलग्न नहीं था. निविदा के आलोक में चार एजेंसियों ने भाग लिया था. महाविद्यालय द्वारा तैयार किये गए वित्तीय बिड के तुलनात्मक विवरणी में पाया गया की में. कोराकागज का दर न्यूनतम (L1)था. उसके द्वारा कुल 26.5: छुट का का दर दिया था. प्राचार्य के द्वारा गठित क्रय समिति ने में. कोराकागज के द्वारा दिए गए दर को अनुमोदित किया था.

परन्तु लेखा परीक्षा के दौरान पाया गया की प्राचार्य ने उपरोक्त एजेंसी को क्रय आदेश निर्गत नहीं किया था अपितु अन्य एजेंसियों में. अमित बुक डिपो, में. एस चाँद एंड कंपनी, तथा में. अग्रवाल बुक्स से कुल रू..20.00 लाख के पुस्तकों का क्रय किया था. यह क्रय मात्र 25% के

छूट पर किया गया था जो की मे. कोराकागज से 1.50 % कम था जिससे महाविद्यालय को कम से कम रू. 37886.00 की हानि हुई थी.

उत्तर में प्राचार्य के द्वारा बताया गया की तथ्यों की जांच कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा.

(ii) फर्नीचर के क्रय में संवेदक को अदेय लाभः रू. 0.91 लाख

नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय, के फर्नीचर के क्रय हेतु निविदा संख्या 1/2008–09 के आलोक में महाविद्यालय में चार आपूर्तिकर्ताओं ने भाग लिया था. आपूर्तिकर्ताओं में सर्व प्रथम मे. इंडिया साईंटिफिक कार्पोरेशन, पटना, मे. बिमल फर्नीचर,पटना, मे. पी. के. फर्निचर, समस्तीपुर, तथा मे. हेवन्स कंस्ट्रक्सन एंड इंजीनियरिंग ने भाग लिया था. इन चार निविदाकारों में मे. हेवन्स कंस्ट्रक्सन का दर सभी आईटम के लिए न्यूनतम(L1) था. उपरोक्त निविदा के लिए तैयार तुलनात्मक विवरणी एवं अभिश्रवों के जांच से पता चला कि निविदा समिति ने L2 एवं L3 दर वाले निविदाकारों से अधिक दर पर फर्नीचर का क्रय किया था. स्टूल एवं चौकी का क्रय मे. पी के. फर्नीचर से तथा चौकी का क्रय मे. इंडिया साईंटिफिक से किया गया था जो की इन आइटम में L2 थे.

इस प्रकार निम्नांकित उपस्करों पर L1 से क्रय नहीं कर L2 से करने के फलस्वरूप रू. 90688.00 का अधिक भुगतान किया गया था जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:–

क्रम सं०	उपस्करों का नाम	क्रय दर रु० में	L_1 का दर रु० में	दर अन्तर x मात्रा	राशि रु० में
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	स्टूल	817	570	247x154	38038
2.	चौकी	2755	2150	605x 6	3630
3.	ड्राइंग बोर्ड	640	444	196x250	49000
				कुल योग	90688

उत्तर में प्राचार्य के द्वारा बताया गया की तथ्यों की जांच कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा.

कंडिका: 4

प्रयोगशाला के उपकरणों के क्रय पर निरर्थक व्ययः रू. 10.86 लाख

नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय, चंडी ने दिसम्बर' 2009 में संस्थान के इलेक्ट्रिकल एवं इलेक्ट्रोनिक्स शाखा के अध्ययनरत प्रथम एवं द्वितीय वर्ष के छात्र/ छात्राओं के प्रयोगशालाओं में व्यवहारिक कार्य हेतु उपकरणों एवं यंत्रों के क्रय हेतु निविदा प्रकाशित की थी. निविदा के निस्तारण के उपरांत प्राचार्य के आदेश से मे. इंडिया साईंटिफिक कार्पोरेशन, पटना से कुल रू. 1085739.00 का उपस्कर एवं यंत्रों का क्रय मार्च 2009 किया था.

(14)

सम्बंधित क्रय के संचिका के जांच से पता चला की क्रय किया गया एक भी उपस्कर प्रयोगशालाओं को निर्गत नहीं किया गया था. व्यवहारिक कार्यों के लिए सभी सेमेस्टर के छात्रों को छपरा अभियंत्रण महाविद्यालय भेजा जा रहा था. इस प्रकार न सिर्फ छात्रों का पढाई इससे प्रभावित हो रहा था अपितु उक्त क्रय निरर्थक हो गया था.

उत्तर में प्राचार्य के द्वारा बताया गया की तथ्यों की जांच कर वस्तुस्थिति से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाएगा.

कंडिका: 5

गुणवत्ताहीन अभियंत्रण शिक्षा का प्रसार

नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय, चंडी के अभिलेखों एवं उपलब्ध कराये गए सूचनाओ आदि के जांच में पाया गया कि इस महाविद्यालय में चार संकायों यथा मेकानिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, तथा कंप्यूटर विज्ञान की पढाई होती है. सभी संकाओं में 60 सीट के अनुसार चार वर्षों के लिए कुल 960 छात्रों को शिक्षा दिया जाता है. AICTE के स्वीकृति के अनुसार प्रति वर्ष विद्यार्थियों की संख्या संकायवार निम्न प्रकार से है:–

क्रम संख्या	संकाय का नाम	AICTE के अनुसार प्रतिवर्ष छात्रों की संख्या	कुल छात्रों की संख्या
1 सिविल	सिविल	60	240
2 मेकनिकल	मेकनिकल	60	240
3 इलेक्ट्रिकल	इलेक्ट्रिकल	60	240
4 कम्प्यूटर	कम्प्यूटर	60	240
कुल		240	960

महाविद्यालय के लिए कुल स्वीकृत टीचर के पद 64 है. AICTE के द्वारा स्वीकृत मापदंड के अनुसार शिक्षक / छात्र का अनुपात 1:15 होना चाहिए.

लेखा परीक्षा को उपलब्ध कराये गए विवरण के विश्लेषण से पता चला की महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षक बल AICTE के मापदंड के अनुसार नहीं था जिसे निम्न प्रकार से देखा जा सकता है:–

संकाय का नाम	शिक्षक के स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्ति	छात्रों की संख्या	शिक्षक / छात्रों अनुपात
मेकानिकल	11	02	09	240	1:120
इलेक्ट्रिकल	12	2	10	240	1:120
कंप्यूटर साइस	10	01	11	240	1:240
सिविल	10	0	10	240	0:240
कुल	43	05	40	960	1:192

उपरोक्त विवरणों से स्पष्ट है कि शिक्षक / छात्र अनुपात नगण्य के बराबर है क्योंकि 88% पद रिक्त थे. सिविल संकाय की हालत सबसे विषम था जहाँ पर कोई शिक्षक नहीं था एवं तीन बैच पास आउट (720) हो चुके थे.

इसके अतिरिक्त तीन संकाओं (सिविल, मेकनिकल, इलेक्ट्रिकल) के पास कोई प्रयोग शाला नहीं था. यह अभियंत्रण महाविद्यालय चार कमरों के भवन में संचालित है जो की किराये के मकान में अवस्थित है.

कार्यालय के लिए स्वीकृत पदों के विरुद्ध कार्यरत बल की संख्या निम्न प्रकार से थे

पद	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्ति
क्लर्क	3	5	3
लेबोरटरी सहायक	15	6	09
वर्क शॉप सहायक	16	04	12

लेबोरटरी तथा वर्क शॉप सहायक के सभी पद क्रमशः 5–5 पद कौट्रेक्ट के द्वारा कार्यरत थे.

इस प्रकार एक ओर जहां शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित थी वहीं दैनिक कार्यालय का कार्य यथा अभिलेखों का संधारण अपूर्ण था.

उपरोक्त परिस्थिति में गुणवत्ताहीन शैक्षणिक कार्य के संपादन से छात्र/छात्राओं के अभियंत्रिक ज्ञान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।

उत्तर में बताया गया कि विभाग द्वारा नियुक्ति नहीं किए जाने के कारण शिक्षकों की संख्या की ऐसी कमी है।

कंडिका: 6

ब्याज की हानि: रू.6,42,800

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक संख्या वि0प्र0सं0 1013–10/85 दिनांक 09.01.1986 के अनुसार राषि का रखरखाव स्टेट बैंक के सेंविंग खाता में रखना है।

नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय, चंडी के अभिलेखों के नमूना जाँच में पाया गया कि महाविद्यालय के स्थापना (वर्ष 2008–09) के साथ हीं नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय, चंडी के नाम से एस.बी.आई., पहाड़ी में A/C न. 30562613639, मुख्य खाता के रूप में खोला गया जो कि एक Saving खाता था और उस पर वार्षिक ब्याज की दर 4 प्रतिशत थी। बाद में, महाविद्यालय के स्थान से नजदीक के कारण पी.एन.बी. चंडी में दिनांक 06.07.2011 को A/C न. 140200010018, मुख्य खाता के रूप में खोला गया जो कि एक Customer Account था जो कि एक ब्याज रहित खाता था। मुख्य खाता से राशि निकालकर जिन अन्य खातों में रखा गया वह भी Customer Account हीं था। इस प्रकार अगस्त 2011 से फरवरी 2015 तक कुल 43 माह में प्रारंभिक राषि के आधार पर रू. 6,42,300 की हानि हुई। जिनका विवरण निम्न तालिका में है:

Intrest calculation for the period August 2011 to February 2015
(43 Months)

Sl. No.	Name of Fund	Opeining balance as on April 2010	Rate of interest per annum	Interest Amount
1	College Day	1,65,053.00	4%	23,657.60
2	Local Levy	12,15,000.00	4%	1,74,150.00
3	Sl&Miss.	3,39,247.00	4%	48,625.40
4	Home Exam	3,37,789.00	4%	48,416.42
5	Atheletic	1,41,912.00	4%	20,340.72
6	Medical	1,50,200.00	4%	21,528.67
7	Education Tour	41,800.00	4%	5,991.33
8	Tra. & Plac.	2,33,800.00	4%	33,511.33
9	College Coo.	41,800.00	4%	5,991.33
10	Dev. Fund	18,18,051.00	4%	2,60,587.31
			Total	6,42,800.11

इसे इंगित किए जाने पर प्राचार्य, नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय, चंडी ने कहा कि तथ्यों की जाँच कर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

कंडिका: 7

नामांकन शुल्क एवं ट्यूसन शुल्क का कोषागार में जमा नहीं करना: रू.181760

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक संख्या वि0प्र0सं0 1013–10/85 दिनांक 09.01.1986 के अनुसार नामांकन शुल्क एवं ट्यूशन शुल्क के रूप में छात्र/छात्राओं से प्राप्त राशि को कोषागार में जमा करना था।

नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय, चंडी के अभिलेखों के नमूना जाँच लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि महाविद्यालय में वर्ष 2008–09 से वर्ष 2014–15 तक छात्र/छात्राओं से संग्रहित नामांकन शुल्क एवं ट्यूशन शुल्क की राशि रू 181760 रोकड बही में दर्ज थी। जिसका विवरण निम्न तालिका में है:

क्रम सं.	रोकड़ बही दर्ज की गई तिथि	नामांकन शुल्क	ट्यूशन शुल्क
1	21.02.2009	2120	20400
2	09.03.2010	2220	21360
3	15.01.2011	2430	23040
4	15.11.2011	2480	23040
5	29.12.2012	2460	24720
6	29.12.2012	0	80
7	14.09.2013	2240	22440
8	07.02.2014	300	3240
9	19.01.2015	2260	22440
10	19.01.2015	410	4080
कुल		16920	164840
		कुल योग	181760

अतः नामांकन शुल्क एवं ट्यूसन शुल्क की राशि रू 181170 को कोषागार में जमा नहीं कर ब्याज रहित बैंक एकाउन्ट में रखे जाने के औचित्य से लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।

इसे इंगित किए जाने पर प्राचार्य, नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय, चंडी ने कहा कि तथ्यों की जाँच कर राशि को रोकड़ बही में प्रविष्टि करा दी जाएगी।

कंडिका: 8

कोषागार से भुगतान राशि का रोकड़ पंजी में संधारण नहीं किया जाना: रू. 0.65

कोषागार नियम के अनुसार कोषागार से होने वाले प्रत्येक भुगतान को उसी दिन रोकड़ बही में प्रविष्टि करना है।

नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय, चंडी के सितम्बर 2014 माह के कोषागार से किए गए भुगतान का कोषागार सत्यापन के दौरान पाया गया कि टी.भी. सं. पी./2203/02 दिनांक 02.09.2014 को रू 65042 का भुगतान किया गया, लेकिन इसे कहीं भी रोकड़ बही में प्रविष्टि नहीं की गई, जो कि एक प्रकार कि वित्तीय अनियमितता है।

इसे इंगित किए जाने पर प्राचार्य, नालंदा अभियंत्रण महाविद्यालय, चंडी ने कहा कि तथ्यों की जाँच कर राशि को रोकड़ बही में प्रविष्टि करा दी जाएगी।

DISCLAIMER CERTIFICATE

The Draft Inspection Report has been prepared on the basis of information furnished and made available by O/o **Nalanda Engineering College Chandi.** The office of Principal Accountant General (Audit) Bihar, Patna disclaims any responsibility for any misinformation/non information on part of the auditee unit.

24/04/15

Sr. Audit Office
Bihar, Patna